"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 22, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-02/2011/32.——छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एम-5/15, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 12 के उप-नियम (2) में, शब्द "सोसायटियां अथवा निगम अथवा मण्डल" के पश्चात् शब्द "या पंजीकृत गृह निर्माण समितियां" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. नियम 13 के उप-नियम (1) में, शब्द "प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा" के पूर्व शब्द "राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से" जोड़ा जाये.

3. नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह है कि जहां पट्टादार तीन माह के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है, तो वह देय प्रीमियम राशि का 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि पट्टा विलेख के निष्पादन में, प्राधिकारी द्वारा विलंब किया जाता है, तो पट्टेदार को किसी अतिरिक्त प्रभार के भुगतान से छूट होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप- सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-2/2011/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विशेषक्षेत्र अचल संपत्ति का व्ययन नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप- सचिव.

Naya Raipur, the 13th December 2013

NOTIFICATION

No. F-7-02/2011/32. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Vishesh Kshetra (Achal Sampatti Ka Viyayan) Niyam, 2008, which the state Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5/15, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (2) of Rule 12, after the words "societies or corporation or boards" the words " or registered housing societies" shall be inserted.

2. In sub-rule (1) of Rule 13, after the words "shall be decided by the Authority", the words "with the prior approval of the state Government" shall be added.

3. After rule 15, the following proviso shall be added, namey :-

"Provided that where the lessee fails to execute the lease deed within three months, he shall be liable to pay 2% additional charge on the payable premium amount :

Provided further that if the delay in execution of the lease deed is caused by the Authority, the lessee shall be exempted from the payment of additional charges."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.